प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.05.2024

थाना साइबर क्राइम द्वारा ऑनलाइन साइबर ठगी के पीड़ित व्यक्तियों के कुल-6,73,45,787/-रूपये वापस कराये ।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा विभिन्न साइबर फ्राड की घटनाओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर तत्परता से कार्यवाही करते हुए बैंको से सम्पर्क कर उन बैंक खातों को फ्रीज कराया गया । उक्त विभिन्न घटनायें जैसे टेलीग्राम टास्क फ्राड, शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड, फेडेक्स कुरियर फ्राड व पुलिस आफिसर बन मुकदमें में फंसाने का भय दिखाकर फ्राड करने आदि में कुल-116 अभियोग पंजीकृत किये गये, जिसमें दिनांक-27.01.2024 से 08.05.2024 तक कुल-7,98,32,787/-रूपये होल्ड कराते हुए रूपये-6,73,45,787/-माननीय न्यायालय से रिफण्ड आदेश कराये गये । पीड़ित व्यक्तियों द्वारा गाजियाबाद पुलिस की प्रशंसा करते हुए थाना साइबर क्राइम टीम का आभार व्यक्त किया गया ।

(2) साइबर अपराध से बचाव के तरीकेः-

- शेयर ट्रेडिंग फ्राड से बचने के लिये अधिकारिक डीमेट एकाउंट से ही शेयर ट्रेडिंग करें।
- किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें।
- टेलीग्राम टास्क फ्रॉड से बचे।
- क्रेडिट कार्ड लिमिट बढाने आदि को लेकर आने वाली कॉल पर कोई भी बैंक डिटेल एवं ओटीपी शेयर न करें।
- किसी भी सोशल साइट पर बिना पूर्ण जानकारी के किसी भी ग्रुप (टेलीग्राम/व्हाटसएप आदि) से न जुडें।
- किसी के कहने पर कोई रिमोट एक्सेस ऐप जैसे एनीडेस्क/टीम व्यूवर आदि डाउनलोड न करें।
- वर्क फ्राम होम के ऐड देखकर लालच में न पड़े।
- सोशल मीडिया से सम्बन्धित एप्लीकेशन में सुरक्षा हेतु टू-स्टेप एथेन्टीकेशन का हमेशा प्रयोग करें।
- किसी भी कस्टमर केयर नम्बर को गूगल पर सर्च करते समय सम्बन्धित कम्पनी की अधिकारिक वेबसाइट से ही नम्बर लें।
- जाब के नाम पर,लोन के नाम पर,टावर लगाने के नाम पर एवं लाटरी के नाम पर, रिश्तेदार बनकर यदि कोई आपसे पैसा मांगता है तो आपके साथ फ्राड हो सकता है, उससे बचें।

(3) साइबर वित्तीय फ्राड होने पर तत्काल हेल्पलाइन नं0-1930 पर काल करें अथवा साइबर फ्राड होने पर वेव साइट https://cybercrime.gov.in आनलाइन शिकायत दर्ज करायें।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 25,000/- का ईनामी व मर्डर का वांछित अभियुक्त आला कत्ल (छुरी) के साथ गिरफ्तार

दिनांक 03-05-24 को वादी श्री शाहरुख खान पुत्र राजी मूसा निवासी गली नं0 3, 30 फुटा रोड, हिन्डन विहार थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ने तहरीर दी कि अभियुक्तगण द्वारा छुरे से एक राय होकर पिता हाजी मूसा उम्र करीब 55 वर्ष की छुरे से हत्या कर दी है, तथा अभि0गण द्वारा जाते समय जान से मारने की धमकी देकर भाग गये है, जिस पर तत्काल थाना नन्दग्राम पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन किया गया, दिनांक 09-05-24 को एक अभियुक्त को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर हिन्डन मैट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त गुलजार उर्फ सुंदर उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि मृतक हाजी मूसा मेरा सगा भाई था, हमारी पुस्तैनी जमीन मकान व घेर, गांव सैदपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद में स्थित है, जिसमें मेरे तीन भाई इदरीश, बिल्लू, व शेरु रहते है। गांव के मकान व घेर का बंटवारा नही हुआ है, मैं व मेरा भाई अहसान गांव के मकान व घेर के हिस्से को बेचना चाहते थे। जिसके लिए अपने बडे भाई हाजी मूसा से बार बार हिस्सा बंटवारे की बात कही लेकिन हाजी मूसा हिस्सा बांटने को मना कर देता था। मेरे मन में तभी से हाजी मूसा को सबक सिखाने की बात आ गयी थी, मैंने अपने भाई अहसान को भी इस बारे में कई बार कहा था, हाजी मूसा के पास अच्छी खासी प्रोपर्टी है, मैं व अहसान, अपने भाई हाजी मूसा के पास दिनांक 02-05-24 की शाम को आये व हिस्सा बंटवारा करने के लिए कहने लगे तो हाजी मूसा ने बंटवारा करने से मना कर दिया, तब मैने गुस्से से हाथ में लिए चाकू से हाजी मूसा पर कई वार किये, और हम दोनो भाई वहां से भाग गये।

अभि0 का नाम व पता-

गुलजार उर्फ सुंदर पुत्र शाहबुद्दीन उम्र करीब 40 वर्ष निवासी गली नंबर 03, 30 फुटा रोड हिंडन विहार, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद व मूल निवासी ग्राम सैदपुर, थाना भोजपुर, जिला गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

-एक छुरी (आला कत्ल)

गिरफ्तार करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा 06 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत व दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.05.2024 को थाना लोनी पर वादी द्वारा अपनी नाबालिक बच्ची उम्र 06 वर्ष के साथ अश्लील हरकत व दुष्कर्म के सम्बन्ध में प्रार्थना प्रत्र दिया गया। जिसमें थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी। तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियोग में वांछित अभियुक्त

आसिफ पुत्र शब्बर अली निवासी दफ्तर वाली गली इकरामनगर लोनी उम्र करीब 20 वर्ष को आज दिनांक 09.05.2024 को चौकी कस्बा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का विवरण

दिनांक 07.05.2024 को 06 वर्षीय बच्ची मस्जिद में पढ़ने के लिये गयी थी तो मस्जिद के गुशलखाने में अभियुक्त आसिफ द्वारा बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर दुष्कर्म करना।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम/पता

आसिफ पुत्र शब्बर अली निवासी दफ्तर वाली गली इकरामनगर लोनी उम्र करीब 20 वर्ष

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उक्त घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की स्कूटी व चोरी का मोबाइल फोन बरामद

दिनांक 09.05.2024 को थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा थाना सिहानी गेट क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना व लोकल इनपुट के आधार पर 02 अभियुक्तगण 1.मनीष पुत्र मन्नू को मालीवाडा चौराहा से व 2. पंकज पुत्र धर्मसिंह को होटल से 10-15 कदम दूर जी0टी0रोड गांधीनगर से गिरफ्तार किया गया, मनीष के कब्जे से थाने पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित 01 चोरी की स्कूटी व पंकज के कब्जे से थाने पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित मोबाइल फोन बरामद। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त मनीष ने बताया कि साहब मैने यह स्कूटी कुछ दिन पहले नेहरुनगर द्वितीय गाजियाबाद से चोरी की थी। मै इस स्कूटी को कही ठिकाने लगाने जा रहा था तो आपने पकड़ लिया तथा अभियुक्त पंकज ने बताया कि साहब मैने यह फोन थाना सिहानी गेट के सामने पुल के ऊपर से एक व्यक्ति जो अपने छोटे हाथी का पंचर होने पर स्टेपनी बदल रहा था, की गाडी से चोरी कर लिया था।

नाम पता अभियुक्त

1-मनीष पुत्र मन्नू सिंह नि0 बाल्मीकि कॉलोनी उदलनगर पटेलनगर थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

2- पंकज पुत्र धर्मसिंह निवासी एच0एन0 111 बयाना कविनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त मनीष उपरोक्त के विरूद्ध कुल 09 अभियोग चोरी, लूट, अवैध हथियार रखने से संबंधित पंजीकृत हैं एवं थाना स्थानीय का HS संख्या 16 बी(हिस्ट्रीशीटर) भी है।
अभियुक्त पंकज के विरूद्ध कुल 02 अभियोग चोरी,अवैध शराब रखना ,अवैध हथियार रखने से सम्बन्धित पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त मनीष उपरोक्त के कब्जे से एक्टिवा स्कूटी बरामद
अभियुक्त पंकज उपरोक्त के कब्ज से सैमसंग ग्लैक्सी मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा अपहृता/ पीड़िता सकुशल बरामद व बहला फुसलाकर ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 04.05.2024 को थाना साहिबाबाद पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि लक्की नाम का लड़का मेरी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साहिबाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल टीमों का गठन किया गया मैनुअल इनपुट सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 09.05.2024 को अपहृता / पीड़िता बरामद व बहला फुसलाकर ले जाने वाला अभियुक्त लक्की पुत्र विनोद कुमार निवासी संजय कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार व अपहृता/पीड़िता को बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

लक्की पुत्र विनोद कुमार निवासी संजय कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त कैंची बरामद।

दिनांक 08.05.2024 को थाना टीला मोड़ पर वादी श्री विनोद कुमार पुत्र रामचरण मकान नं0 559 गगन बिहार जहारपीर मन्दिर के पास भोपुरा गाजियाबाद द्वारा बताया गया कि मेरे पड़ोसी सेंसरपाल मेरे घर पर मेरी पत्नी के सामने मुझे गाली देने लगा। वादी की पत्नी ने गाली देने का विरोध किया तो इसी बात पर मेरे पड़ोसी सेंसरपाल ने जान से मारने की नियत से वादी की पत्नी के पेट में कैंची मार दी जिससे वह घायल हो गयी, के संबंध में लिखित तहरीर दी। थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 09.05.2024

को अभियुक्त सेंसरपाल पुत्र सुमेर सिंह नि0 569 जहारपीर बाबा मंदिर के बराबर वाली गली ग्राम भौपुरा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष को भौपुरा तिराहे से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से घटना में प्रयुक्त कैंची बरामद। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

सेंसरपाल पुत्र सुमेर सिंह नि0 569 जाहरपीर बाबा मंदिर के बराबर वाली गली ग्राम भौपुरा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः

घटना में प्रयुक्त कब्जे से कैंची बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।